भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
चंडीगढ़

निविदा की समय-सारणी

क्र.सं	मद	समय-सारणी
1.	कार्य का नाम	नोटों के चूरे से बनी ईंटों (ब्रिकेट्स) का निपटान
2.	ई निविदा संख्या	RBI/Chandigarh/Issue/38/18-19/ET/428
3.	निविदा का मोड	ई निविदा (खुली निविदा) भाग-I : तकनीकी बोली एवं बयाना राशि जमा (ईएमडी) का विवरण भाग- II : मूल्य बोली
4.	i) कार्य की अनुमानित लागत ii) बयाना राशि (ईएमडी) iii) अंतरण फीस	**₹ 12.00 लाख** (लगभग) **₹ 24,000/-** (बीस हजार रुपए मात्र) जिसका भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अनुलग्नक-1 के साथ किया जाना है । एमएसटीसी द्वारा लागू
5.	विज्ञापन की तारीख	26 जून 2019 (बुधवार)
6.	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज अपलोड करने की तारीख	26 जून 2019 (बुधवार)
7.	एमएसटीसी की वेबसाइट पर ई-निविदा देखने की तारीख	26 जून 2019 (बुधवार) से
8.	बोली पूर्व बैठक का समय एवं स्थान (वैकल्पिक)	3 जुलाई 2019 (बुधवार) को 1100 बजे निर्गम विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17 चंडीगढ़ – 160 017
9.	ई-निविदा प्रारंभ करने की तारीख (तकनीकी बोली और मूल्य बोली की प्रस्तुति)	26 जून 2019 से
10.	एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में एमएसटीसी भुगतान गेटवे /एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से अंतरण फीस	15 जुलाई 2019 (सोमवार)

	जमा करने की अंतिम तारीख	
11.	बयाना राशि और अनुलग्नक-1 जमा करने की अंतिम तारीख एवं स्थान	15 जुलाई 2019 (सोमवार, 1700 बजे), निर्गम विभाग भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17 चंडीगढ़ – 160 017
12.	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	16 जुलाई 2019 (मंगलवार, 1200 बजे)
13.	भाग-I (तकनीकी बोली) एवं ईएमडी खोलने की तारीख एवं समय	16 जुलाई 2019 (मंगलवार, 1400 बजे)
14.	भाग-II (मूल्य बोली) को खोलने की तारीख एवं समय	इसकी सूचना बाद में दी जाएगी

निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेश एवं विशेष शर्तें

नोटों के चूरे से बनी ईंटों (ब्रिकेट्स) के निपटान के लिए निविदाओं को एमएसटीसी के वेब पोर्टल पर, दिनांक **16 जुलाई 2019** को 1200 बजे या पहले, अपलोड किया जाएगा।

क. सामान्य अनुदेश

1) भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसे बाद में बैंक कहा जायेगा) निविदाकर्ताओं द्वारा अन्य शर्तें तय करने को प्रोत्साहित नहीं करता है ।

2) निविदा फार्म **इलेक्ट्रोनिक रूप से** (अनुलग्नक-1 को छोड़कर) भरा जाएगा। किसी दस्तावेज़ के अभाव होने की स्थिति में, निविदा बैंक के निर्णय पर अमान्य मानी जाएगी। चूंकि अनुलग्नक-1 को छोड़कर अन्य सभी दस्तावेजों को, उपर्युक्त, निविदाकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरों के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं।

3) सभी निविदाएँ, निविदा खोलने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए बैंक की स्वीकृति हेतु मान्य रहेंगी । इस अवधि को परस्पर सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है । निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त या वापिस नही करेगा ।

4) निविदा खोलने के बाद, निविदा की दर या शर्त में परिवर्तन का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5) ब्रिकेट्स के निपटान के लिए संविदा, खरीद के लिए प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली अर्थात प्रति किलोग्राम कीमत तथा निविदाकर्ता(ओं) के पूर्ववृत्त के आधार पर दी जाएगी। तथापि बैंक स्वयं बाध्य नहीं है कि वह किसी निविदा की उच्चतम कीमत को स्वीकार करें तथा उसके पास यह अधिकार है कि वह किसी एक या सभी निविदाओं को, बिना किसी कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार या निरस्त करें।

6) यदि यह अवार्ड किया जाता है, तो संविदाकार इस क़रार को किसी अन्य फर्म को नहीं सौंपेगा। वह संविदा के किसी भी भाग का उप-ठेका (sublet) नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए उसे बैंक से लिखित अनुमति लेनी होगी।

7) आवेदक के पास निविदा के अनुसार कार्य के निष्पादन के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए तथा उसका किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाता होना चाहिए। उसे बैंक का नाम तथा पता तथा खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

ख. बयाना राशि जमा (ईएमडी) एवं प्रतिभूति जमा (सिक्यूरिटी डिपोज़िट)

1) आवेदक को निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में दिनांक 15 जुलाई 2019 को 1700 बजे या पहले, समुचित रुप से बंद किये गये आवरण में बयाना राशि रु. 24,000 (रुपए चौबीस हज़ार केवल) का एक डिमांड ड्राफ्ट और उसके साथ विधिवत रुप से हस्ताक्षरित तथा मुहर लगा अनुलग्नक 1 प्रस्तुत करना होगा ।

2) सफल निविदाकर्ता द्वारा भुगतान की गई बयाना राशि को बैंक द्वारा संविदा के निष्पादन तथा विधिवत निर्वाह होने तक प्रतिभूति के रूप में रखा जाएगा।

3) सफल निविदाकर्ता के साथ क़रार का निष्पादन होने पर सभी निविदाकर्ताओं को बयाना राशि जमा (डिमाण्ड ड्राफ़्ट) वापस कर दी जाएगी।

4) इस खंड के पैरा 5 के अनुसार प्रतिभूति जमा किये जाने पर, सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी। यदि सफल निविदाकर्ता बैंक के साथ क़रार का निष्पादन करने में विफल रहता है तो, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।

5) बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता को प्रतिभूति जमा के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से, रु. 60,000/- (रुपए साठ हजार केवल) की राशि बैंक में जमा करनी होगी जिसे बैंक द्वारा इस संविदा की मान्यता रहने तथा /या उसकी बढी हुई अवधि तक रखा जाएगा ।

6) बयाना राशि या प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

ग. भाग – I (तकनीकी बोली)

1) निविदा का भाग –I "तकनीकी बोली" होगा जिसमें निविदा फॉर्म रहेगा ।

2) निविदाकर्ता को उन सभी अनुबंधों का विवरण देना होगा जिनके अंतर्गत उसने इससे पूर्व में ऐसी सेवाएँ प्रदान की है ।

3) तकनीकी बोलियों तथा बयाना राशि के आवरणों को दिनांक **16 जुलाई 2019 को 1400 बजे** या उसके बाद खोला जाएगा ।

घ. भाग – II (मूल्य बोली)

1) निविदा के भाग II में केवल "मूल्य बोली" होगी ।

2) मूल्य केवल "**भारतीय रुपए**" में, संख्या तथा शब्दों दोनों रुप में उधृत करना होगा। संख्या तथा शब्दों में अंतर होने की स्थिति में, शब्दों में उधृत मूल्य को मान्य माना जाएगा। निविदाकर्ताओं को ब्रिकेट्स की कीमत प्रति किलोग्राम में उधृत करनी होगी।

3) उधृत दरों में केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न कर, शुल्क, लेवी शामिल नहीं होंगे । तथापि सभी कर/ड्यूटी/लेवी इत्यादि, जैसे भी लागू हो, संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे ।

4) उधृत दरें संविदा की पूरी अवधि (अर्थात 1 अगस्त 2019 से 30 जून 2020 तक) के लिए तथा/या बढ़ाई गई अवधि के लिए मान्य रहेगी और एक्सचेंज बदलाव, श्रमिक या रेलवे भाड़ें में उतार-चढ़ाव या किसी अन्य परिस्थिति के कारण हुए बदलाव के अधीन नहीं होंगी।

ङ्ग बैंक तथा संविदाकार के बीच क़रारनामा

सफल निविदाकर्ता को, दिये गए प्रारूप के अनुसार, बैंक द्वारा सूचित की गई दिनांक से **पंद्रह दिनों** के भीतर एक क़रारनामा निष्पादित करना होगा। हालांकि, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति, बैंक तथा निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध होगा, चाहे ऐसा क़रारनामा बाद में निष्पादित किया जाए या नहीं ।

1) क़रारनामा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, मूल प्रति बैंक के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति संविदाकार के पास रहेगी। मूल प्रति पर स्टांप ड्यूटी संविदाकार द्वारा वहन की जाएगी ।

2) यह करार 11 महीने की शुरुआती अवधि अर्थात 1 अगस्त 2019 से 30 जून 2020 के लिए मान्य होगा । तथापि बैंक के विकल्प पर, संविदाकार के संतोषजनक कार्य और उसकी सहमति के आधार पर, इस अवधि को दो और वर्षों के लिए, किन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं, वर्तमान नियमों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3) यदि 1 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए नया करार किसी भी कारण से क्रियान्वित नहीं हो पाता है तो, संविदाकार को, महाप्रबंधक, निर्गम विभाग के आदेश से, वर्तमान करारनामे की समाप्ति की दिनांक से तीन महीने की आगे की अवधि तक के लिए उन्हीं नियम व शर्तों पर कार्य करना होगा ।

4) इस करार को दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

5) यदि संविदाकार इस करार के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन करता है या किसी सांविधिक प्रावधान का पालन नहीं कर पाता है तो, बैंक द्वारा संविदाकार को 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर यह करार समाप्त किया जा सकता है तथा इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा ।

च. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न

1. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुरुप, संविदाकार यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक नीति निरुपित करेगा तथा तदानुसार इस अधिनियम के तहत " कर्मचारी" की परिधि में आने वाले किसी भी कार्मिक द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में शिकायत दर्ज करने, निपटान करने, सुनवाई करने, आवश्यक कार्रवाई करने इत्यादि के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करेगा।

2. इसके कर्मचारी के विरुद्ध बैंक के परिसरों में यदि यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत मिलती है तो उक्त शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी तथा संविदाकार शिकायत के संबंध में कथित अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।

3. यदि इसमें संविदाकार के कर्मचारी शामिल हों तो किसी भी मौद्रिक हर्जाने के लिए संविदाकार ज़िम्मेवार होगा।

4. संविदाकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम तथा संबन्धित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को जागरूक/शिक्षित करने के लिए ज़िम्मेवार होगा।

छ. संविदाकार के सांविधिक तथा संविदा संबंधी दायित्व

1. संविदाकार को विभिन्न क़ानूनों के अंतर्गत, जैसा भी लागू हो, आवश्यक सांविधिक अनुमतियाँ/लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
2. संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस करार के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने के लिए वह केवल वयस्क, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित तथा सक्षम व्यक्तियों को ही तैनात करे, जो कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों तथा किसी जीर्ण या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हों ।
3. संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबन्धित कोई सूचना, सामग्री या अन्य विवरण, जो इस करारनामे के संबंध में अपने संविदागत दायित्वों का वहन करते समय संविदाकार के संज्ञान में आती हैं, को तृतीय पक्षकार को प्रकट नहीं करेगा तथा हर समय सख्त गोपनीयता का पालन करेगा।
4. इस संविदा के तहत दायित्वों का पालन करने में आवश्यक या लागू क़ानूनों के अनुपालन को छोड़कर संविदाकार द्वारा संविदा के बाकी विवरण को असार्वजनिक तथा गोपनीय माना जाएगा ।
5. संविदाकार को, इस करारनामे के तहत गोपनीय सूचना को प्रकट न करने के अपने दायित्व की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अपने कर्मचारियों के संबंध में समुचित कार्रवाई करनी होगी ।
6. संविदाकार किसी गोपनीय सूचना के प्रकट करने के कारण बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने पर इसे संविदाकार की ओर से इस संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा नुक़सानों का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का बैंक हकदार होगा।
7. अप्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व, किसी भी परिस्थिति में, इस करारनामे की समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे ।

8. इस संविदा से हुए तथा इसके संबंध में सभी विवाद तथा किसी भी तरह के मतभेदों का समाधान मध्यस्थता (केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों अनुसार व अधीन) द्वारा किया जाएगा तथा मध्यस्थता केवल चंडीगढ़ में आयोजित होगी। मध्यस्थ भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय निदेशक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि) से होंगे तथा उसके निर्णय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

मैं /हम एतदद्वारा यह घोषित करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त अनुदेश पढ़ लिये हैं तथा समझ लिये हैं।

साक्ष्य के हस्ताक्षर :
साक्ष्य के नाम :
साक्ष्य का पता :

दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -1

नोटों के चूरे से बनी ईंटों (ब्रिकेट्स) के निपटान के करार के लिए नियम व शर्तें

1. संविदाकार को "जैसा है जहां है" के आधार पर एकत्रित हुई ब्रिकेट्स के बैगों को सप्ताह में कम से कम एक बार/दो बार तथा /या बैंक के आदेशानुसार उठाना होगा।

2. संविदाकार को ब्रिकेट्स (45 किलोग्राम तक) को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता के खाली बैग, मांग अनुसार, अपनी लागत पर प्रदान करने होंगे। हालांकि, बैगों को बांधने/सिलने के लिए सुतली बैंक द्वारा दी जाएगी।

3. बैंक अपने निर्णयानुसार, संविदाकार द्वारा उठाये जाने के लिए, ब्रिकेट्स के बैगों के क्रमबद्ध ढेर लगाने की व्यवस्था करेगा।

4. संविदाकार सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) या बैंक के आदेशानुसार, केवल 9:30 प्रात: से 5:30 साँय की समयावधि मे, केवल बैंक स्टाफ की उपस्थिति में ब्रिकेट्स के बैगों को उठाने के लिए श्रम तथा ढुलाई की व्यवस्था करेगा।

5. संविदाकार इलेक्ट्रोनिक मोड/एनईएफ़टी के माध्यम से बैंक को अनुमोदित दरों पर भुगतान करने के बाद, बैंक परिसर से ब्रिकेट्स के बैगों को उठाएगा तथा ले जाएगा।

6. संविदाकार सभी लागू करों (जीएसटी,टीसीएस इत्यादि) को वहन करेगा और तदानुसार बैंक को भुगतान करेगा।

7. संविदाकार बैंक से उठाई जाने वाली ब्रिकेट्स के अंतिम उपयोग के बारे में बैंक को सूचित करेगा। यदि ब्रिकेट्स की आपूर्ति किसी अन्य पक्ष को की गई है, तो इस प्रकार के अंतिम उपयोगकर्ताओं का विवरण भी बैंक को प्रस्तुत करना होगा।

8. संविदाकार यह हलफनामा प्रस्तुत करेगा कि ब्रिकेट्स का निपटान केंद्रीय सरकार तथा/या किसी राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अधिनियमों/नियमों/ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इसके निपटान से वातावरण प्रदूषण नहीं होगा।

9. संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ब्रिकेट्स ले जाते समय पूरी सतर्कता/सावधानी बरती जाती है ताकि ब्रिकेट्स रास्ते में न गिरे या गलत/अज्ञात व्यक्ति के हाथों में न जाये । संविदाकार उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार होगा, जब निर्दिष्ट अंतिम-उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में निपटाई गई ईंटें पाई जाती है।

10. संविदाकार बैंक परिसर में प्रवेश करते/बाहर जाते समय, स्वयं/श्रमिक/वाहनों के लिए उचित सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए ज़िम्मेवार होगा। यह उसकी जिम्मेवारी होगी कि सभी लिखित सत्यापन/प्रमाणन वर्तमान समय के तथा मान्य हों ।

11. यदि संविदाकार ब्रिकेट्स के बैग निर्धारित समय के भीतर नहीं उठाता है, तो बैगों के निपटान के लिये बैंक अपने विवेकानुसार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है तथा ऐसे बैगों को हटाने की पूरी लागत संविदाकार की प्रतिभूति जमा से काट ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक के आदेशों के अनुसार कार्य पूरा न करने के ऐसे प्रत्येक अवसर पर, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़ द्वारा संविदाकार पर रु.1,000/- का दंड लगाया जा सकता है तथा इसकी वसूली भी प्रतिभूति जमा से की जाएगी ।

12. किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने से पूर्व क्षेत्रीय निदेशक द्वारा विधिवत सुनवाई का मौका संविदाकार को दिया जाएगा । तथापि क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम तथा बाध्य होगा ।

13. संविदा के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों के उल्लंघन होने पर, यदि कोई है, द्वारा संविदा अमान्य हो जाएगी ।

मैं /हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदाकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त अनुदेश पढ़ लिये तथा समझ लिये हैं ।

साक्ष्य के हस्ताक्षर :

साक्ष्य का नाम :

साक्ष्य का पता :

दिनांक

(निविदाकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)

निविदा फॉर्म

भाग- I (तकनीकी बोली)

1. निविदाकार का विवरण

1.	व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संस्था/स्वत्वधारी का नाम	
2.	पता	
3.	टेलीफोन/ मोबाइल नम्बर	
4.	ईमेल	
5.	पैन नम्बर	
6.	दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जीएसटीआईएन	
7.	व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण	

2. बैंक खाता विवरण

1.	बैंक का नाम	
2.	बैंक शाखा का पता, आईएफएससी कोड	
3.	बैंक खाते का प्रकार और खाता संख्या	
4.	चूक का विवरण, यदि कोई हो (Details of defaults, if any	

3. क्या निविदाकार के पास ब्रिकेटस ढुलाई के लिये अपनी परिवहन व्यवस्था है:

हां/नहीं

(i) यदि हां तो, संक्षिप्त विवरण के साथ स्वयं के वाहनों की संख्या:

4. **समान प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में अनुभव:**

कार्यालय /कंपनी का नाम	पता व टेलीफोन नं.	संविदा की अवधि

5. बयाना राशि जम्मा (ईएमडी) का:विवरिण

राशि______________________________रुपये

डीडी संख्या_________________________

दिनांक_____________________________

जारी करने वाले बैंक शाखा का नाम/पता ____________________________________

भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुबंध-1 के साथ बयाना राशि जमा प्रस्तुत करने की तारीख ______________________

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियम और शर्तों से सहमत हूं।

दिनांक:_____________

____
आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (______________________________)

(फर्म/कंपनी की रबड़ स्टैम्प/सील सहित)

भाग -II (मूल्य बोली)

मद	**इकाई**	**प्रति किलो दर (रु.) (कर, अतिरिक्त)**	
		संख्या में	**शब्दों में**
नोटों के चूरे से बनी ईंटें (ब्रिकेट्स)	किलोग्राम		

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़, द्वारा निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियम व शर्तों से सहमत हूँ।

दिनांक :___________

____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (__________________________)

(फर्म/कंपनी की रबर स्टैम्प/सील)